

385

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(55)नविदि/3/2002

जयपुर, दिनांक:

4 OCT 2013

आदेश

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर विभागीय समसंख्यक भूमि आवंटन नीति दिनांक 19.4.2011 के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के लिए मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 261/2013 के अनुसरण में निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

"राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को छात्रावासों, सामुदायिक केन्द्रों, समाज से सम्बन्धित कार्यों एवं वृद्धाश्रम हेतु दिनांक 19.4.2011 के पश्चात् विभाग द्वारा यदि आरक्षित दर पर या उससे कम दर पर नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि आपंटित की गयी है या की जायेगी, तो समाज/संस्था को किया गया आवंटन आवासीय आरक्षित दर के 5 प्रतिशत पर ही किया जाना जायेगा। यदि समाज/संस्था के द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करायी गयी है, तो अधिक जमा राशि लौटायी नहीं जावेगी। यदि उपरोक्त प्रयोजनार्थ किसी समाज/संस्था के द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया जाता है तो आवासीय आरक्षित दर के 5 प्रतिशत पर आवंटन करने के लिए नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग को अधिकृत किया गया है।"

उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा. शासन विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा. शासन विभाग।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा. शासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/अल्पसंख्यक मामलात/धिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को उनकी आज्ञा क्रमांक 261/13 के क्रम में।
10. आयुक्त/राजिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
11. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
13. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
14. अध्यक्ष/सचिव, नगर सुधार न्याय (समस्त)।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय